ई-मेल - dir.ol@epfindia.gov.in

दूरभाष/Telephone: 011-26185097
फैक्स/FAX : 011-26185097

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour, Govt. Of India)

मुख्य कार्यालय/ Head Office

भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

संख्या : हि.अ./रा.भा.सम्मेलन-13/पुणे/2011/ 12925 दिनांक : 9 SEP 2011

सेवा में,

1. सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (जोन) ।
2. निदेशक, नाटरस, नई दिल्ली ।
3. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं प्रभारी अधिकारी ।
   (सभी क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय कार्यालय)
4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्रभाग), मुख्यालय ।

विषय : **दिनांक 13 एवं 14 जून, 2011 को क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे में सम्पन्न 13वें राजभाषा सम्मेलन में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में ।**
Follow-up action on the decisions taken in 13th Official Language Conference held at Pune on 13-14 June, 2011 - reg.

संदर्भ : **मुख्यालय के परिपत्र संख्या हि.अ./रा.भा.सम्मेलन-13/पुणे/2011/5279-5529 दिनांक 05.07.2011 के द्वारा परिचालित राजभाषा सम्मेलन के कार्यवृत्त - मद संख्या 14 - विभागीय हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को क्षेत्रवार - शील्ड से सम्मानित करना ।**

महोदय,

उपर्युक्त सम्मेलन में इस मद की समीक्षा के दौरान यह नोट किया गया कि वर्ष 2010 के दौरान कुल 28 कार्यालयों से विभागीय हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया है । नाटरस, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (दक्षिण), कानपुर, पटना, गुड़गांव, कांदिवली, गोवा, निजामाबाद, बंगलौर, गुलबर्गा, पीन्या, ताम्बरम, गुवाहाटी तथा जलपाईगुड़ी कार्यालयों द्वारा हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं किया गया है जबकि मुख्यालय के निर्णयानुसार मुख्यालय एवं सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से सामान्यत: हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन किया जाना चाहिए । चर्चा में भाग लेते समय केन्द्रीय आयुक्त महोदय ने भी यह मंशा जाहिर की थी कि पत्रिका की गुणवत्ता बढ़ाए जाने हेतु और प्रयास किए जाने चाहिएं ताकि संगठन की पत्रिकाएं स्तरीय बन सकें । इस उद्देश्य से निम्नलिखित निर्णय दोहराए गए :-,

- राजभाषा के विकास एवं प्रचार-प्रसार में विभागीय पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है अत: प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हिन्दी पत्रिका अवश्य प्रकाशित की जाए ।
- जिन कार्यालयों में सहायक निदेशक, अनुवादक आदि नहीं हैं उन कार्यालयों में पत्रिका के प्रकाशन का दायित्व क्षेत्रीय आयुक्त-। का होगा । क्षेत्रीय आयुक्त अपने अधीन क्षेत्रीय आयुक्त-।। अथवा किसी सहायक आयुक्त को इस कार्य की जिम्मेवारी सौंप सकते हैं ।
- इस संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या हि.अ./रा.भा. सम्मेलन/87/मद सं. 8 दिनांक 26.10.2006 एवं 5.6.2009 को जारी किए गए परिपत्रों का संदर्भ देखा जाए ।

अत: उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में अनुरोध है कि संबंधित मदों / बिन्दुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई से मुख्यालय को 31.10.2011 तक अवगत कराएं ।

भवदीय,

(ऐ. कुलश्रेष्ठ)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन)
प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि :-

1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव ।
2. सभी अधिकारीगण, मुख्यालय ।
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी.) को वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में ।

(राजवीर सिंह) 7/9/14
उपनिदेशक (राजभाषा)
मुख्यालय